



2026:AHC:61533

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2137/2026

फिरदोस जहाँ और 4 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री अखिलेश कुमार यादव, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण की ओर से, श्री आशीष कुमार त्रिपाठी, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 19/2026, अन्तर्गत धारा 85, 74, 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 34, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर, में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाए
3. विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में मिथ्या फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एफ.आई.आर. वैवाहिक अपराधों से संबंधित है। यह अभिकथित है कि आवेदक संख्या 3 ने सूचनाकर्ता के साथ यौन उत्पीड़न किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं तथा विवेचना अभिकरण या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होंगे। यह अभिकथित किया गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का अनुपालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

5. एफ.आई.आर. वैवाहिक अपराधों में पंजीकृत की गई है और आवेदक संख्या 3 को सूचनाकर्ता के साथ यौन उत्पीड़न आरोप लगाया गया है।

6. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694**, के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकगण की भूमिका तथा वाद की सभी संलग्न तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है।

9. आवेदकगण- **फिरदोस जहाँ, जहीर आलम, दानिश, हीना और महविश** की उपर्युक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभू प्रत्येक उसी धनराशि की प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदकगण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी जाए;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे उसे/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदकगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

वीरेंद्र